कार्यालयः—जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर (म.प्र.)

जिला न्यायालय परिसर अशोकनगर (म.प्र.) फो.नं. 07543—292233
Email:- secdlsaasn@mp.gov.in

क्रमांक / 103 / योजना / जिविसेप्रा / 2026, अशोकनगर, दिनांकः— 17.04.2026

//भर्ती विज्ञापन//

(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर अंतर्गत संविदा ड्राईवर की भर्ती की सूचना)

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के पत्र कमसंक फा.नं. 337 / स्था. / राविसेप्रा. / 126 / 2026, जबलपुर दिनांक 09.04.2026 के पालन में बहुउपयोगी वाहन के लिए संविदा वाहन चालक 01 पद की नियुक्ति के लिए संविदा आधार पर 02 वर्ष के लिए आफलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। जिसके लिए सेवा शर्ते निम्नानुसार होगीः—

01:— आवेदन करने की तिथिः— दिनांक 17 / 04 / 2026 से

02:— आवेदन करने की अंतिम तिथिः— 30 / 04 / 2026

03:— पद का नामः— संविदा ड्राईवर (वाहन चालक)

04:— शैक्षणिक अर्हताः— न्यूनतम 10 वीं पास

05:— अन्य अर्हताऐंः—

- भारत का नागरिक हो।
- दिनांकः— 01.01.2026 आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो।
- वैद्य ड्रायविंग लायसेंस हो।
- समस्त प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव हो।
- मैकेनिकल योग्यता वाले को प्राथमिकता।

06:— वेतनमानः—

अशोकनगर शहर ''श्रेणी—सी'' हेतु (02 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर के लिए) मानदेय रू. 12000 / — होगा।

MPPLR

01— भर्ती मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्ते नियम 2009 के नियम 06(2) के अंतर्गत निर्धारित योग्यता एवं शर्तो के अनुसार की जावेगी।

02— यह संविदा नियुक्ति हेतु अनुबंध प्रारंभ में 02 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन, अच्छे आचरण और निरंतरता की आवश्यकता के आधार पर तत्पश्चात् एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। संविदा अवधि के पश्चात् नियमित नियुक्ति निरंतर सेवा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

03— संविदा चालक की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने या अन्य प्रशासनिक स्थिति में संक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी। संविदा वाहन चालक भी एक माह का पूर्व नोटिस देकर या एक माह के वेतन के बराबर राशि जमा किया जाकर त्यागपत्र दे सकेगा।

04:— संविदा चालक के कार्यों की समीक्षा समय—समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा और संतोषजनक प्रदर्शन न किये जाने तथा अनुशासन के अनुरूप न पाये जाने पर अनुबंध की निरन्तरता या विस्तार किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

5— संविदा चालक को एक कलेण्डर वर्ष में 13 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

06— आवेदन का प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर कार्यालय से तथा जिला न्यायालय अशोकनगर की वेबसाईट https://ashoknagar.dcourts.gov.in से प्राप्त कर सकते है। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय अशोकनगर में उपस्थित होकर संपर्क कर सकते है। आवेदन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकगनर में अंतिम दिनांक 30/04/2026 तक सांय पांच बजे तक जमा करवा सकते है।

(माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार)

(मनीष अनुरागी)
न्यायाधीश/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जिला न्यायालय, अशोकनगर (म.प्र.)

MPPLR

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के अनुदान अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय अशोकनगर हेतु बहुउपयोगी वाहन के लिए संविदा आधार पर एक वाहन चालक की नियुक्ति हेतु

//आवेदन पत्र//

स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साईज़ फोटो चस्पा करें

प्रति,

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जिला न्यायालय परिसर अशोकनगर (म0प्र)

आवेदन पत्र क्रमांक .... (कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदित पद– (संविदा वाहन चालक)

1. आवेदक का नाम ....
2- पिता/पति का नाम ....
3- जन्म तिथि ....
4. लिंग पुरुष / महिला
5- पूर्ण पता ....
....
....
6- मोबाईल नंबर ....
(व्हाट्सअप नंबर सहित)
7- ईमेल आईडी ....
8- ड्रायविंग लायसेंस नंबर ....

वाहन केटेगरी एल.एम.व्ही./एल.टी.व्ही./एच.टी.व्ही./एच.पी.व्ही./कमर्शियल आदि
(छायाप्रति संलग्न करें)

9. आधार कार्ड नंबर ....
(छायाप्रति संलग्न करें)

10. शैक्षणिक योग्यताएं ....

क्र.	कक्षा	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण/ वर्ष	प्रतिशत
1	10वीं			
2	12वीं			
3	स्नातक/स्नातकोत्तर			
4	अन्य शैक्षणिक योग्यता			
5	मैकेनिकल योग्यता			

आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंकसूची/डिग्री/डिप्लोमा की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

संलग्नः– घोषणा पत्र।
दिनांक ....
स्थान ....

हस्ताक्षर/–

परिशिष्ट–एक

<u>स्वघोषणा पत्र</u>

मैं .... के लिए आवेदन करना चाहता हूँ।

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री ....

उम्र.....................वर्ष...................निवासी ....

.... जिला .... मध्यप्रदेश एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, मैंने उसमें कुछ भी छिपाया नहीं है। मुझे यह संज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभों को भी वापस किया जावेगा।

हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

....

स्थान ....

दिनांक ....